

प्रेस नोट थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर दिनांक 27.11.2025

अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा कराने के आरोप में
15,000/- रु0 का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चिलुआताल के नेतृत्व में मय पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 634/2024 धारा 419,420,467,468,471,323,504,506,120बी भादवि से संबंधित 15,000/- रु0 का इनामिया वांछित अभियुक्त बृजेश पुत्र सुरेन्द्र निषाद निवासी ग्राम परमेश्वर पुर टोला बढ़नी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्तों द्वारा अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से वादी को मृतक बनाकर धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा कराया गया। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बृजेश पुत्र सुरेन्द्र निषाद निवासी ग्राम परमेश्वर पुर टोला बढ़नी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 634/2024 धारा 419,420,467,468,471,323,504,506,120बी भादवि थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

- थानाध्यक्ष सूरज सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- वरिझिनी शैलेन्द्र कुमार थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- उनीनी सज्जन मिश्रा थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
- का विश्वजीत सिंह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर